कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-01.03.2025

विषयः- कुल 05.400 कि0ग्रा0 अवैध चरस (अनुमानित मूल्य करीब 2.5 करोड़ रु0) के साथ अन्तर्राज्यीय तस्कर रामबाबू को एस0टी0एफ0 वाराणसी व थाना रोहनिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के कुशल नेतृत्व में **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एस0टी0एफ0 वाराणसी व थाना रोहनिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रामबाबू पुत्र अछैवर निवासी J25/59 E-2 उस्मानपुरा थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी को आज दिनांक-01.03.2025 को समय करीब 05.30 बजे मोहनसराय अण्डर पास थाना रोहनिया वाराणसी से कुल 05.400 कि0ग्रा0 अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रोहनिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-0063/2025 धारा 111 बी0एन0एस0 व 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन महोदय द्वारा 25000/- रु0 इनाम की घोषणा की गयी।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त रामबाबू ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चौक निवासी एक युवक का पुराना दोस्त हूँ। इनका दूसरा भाई मुझे 20 हजार रुपये का लालच देकर अपने साथ दिनांक-22.02.2025 को वाराणसी बनारस स्टेशन से रात्रि 10.00 बजे ट्रेन द्वारा दिल्ली ले गया और दिल्ली से हम तीनों आदमी मनाली, हिमाचल प्रदेश गये और वहाँ होटल में रुके और ऊधर से दिनांक-27.02.2025 को दोनों भाई मुझे मनाली से बस पर बैठा दिये, फिर दिल्ली से बस द्वारा यहाँ आकर उतरा ही था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-28.01.2025 को थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर में उपरोक्त गैंग के दो सक्रिय सदस्य संतोष झा व शिखा वर्मा को 5.किग्रा चरस के साथ पकड़ा गया तथा थाना कोतवाली देहात 628 0सं0अ0सुल्तानपुर में मु- 32/- धारा 2025111 BNS व 8/ 22NDPS Act. पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना की जा रही है कि उसी क्रम में मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि थाना चौक वाराणसी निवासी युवक ने नया मोबाइल नम्बर लेकर अपने भाई के साथ काम प्रारम्भ कर दिया है तथा दिनांक 22.02. को 2025वह दोनों अपने पुराने मित्र रामबाबू के साथ दिल्ली होते हुये मनाल हिमाचल प्रदेश गये है जो मनाली के एक व्यक्ति को कुछ पैसा आनलाइन भेजवाये है और कुछ पैसा कैश लेकर गये है। मुखबिर ने यह भी बताया कि दिनांक -27.02.2025 को दोनों भाई माल सहित (चरस) रामबाबू को बस में बैठा दिये है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रामबाबू पुत्र अछैवर निवासी J25/59 E-2 उस्मानपुरा थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी, उम्र 46 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

मोहनसराय अण्डर पास थाना रोहनिया वाराणसी से, दिनांक 01.03.2025 को समय करीब 05.30 बजे।

बरामदगी का विवरण- कुल 05.400 कि0ग्रा0 अवैध चरस (अनुमानित कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए) व जामा तलाशी से 02 अदद मोबाइल बरामद।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-0063/2025 धारा 111 बी0एन0एस0 व 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी।

गिरफ़्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरणः-

एस0टी0एफ0 वाराणसी पुलिस टीम-

निरीक्षक अनिल कुमार सिंह एसटीएफ वाराणसी, निरीक्षक पुनीत परिहार, उ0नि0 मनीष कुमार श्रीवास्तव, उ0नि0 आलोक कुमार सिंह, हे0का0 अरविन्द कुमार पाठक, हे0का0 आलोक कुमार राय, हे0का0 अवनीश कुमार सिंह, हे0का0 अजय कुमार जायसवाल , हे0का0 रणविजय तिवारी, हे0का0 अभय विक्रम सिंह व हे0का0 शहाबुद्दीन अंसारी।

थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस टीम-

उ0नि0 मो0 सुफियान खान, उ0नि0प्रशिक्षु दिनेश सिंह व का0 सिन्टू कुमार।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।